शासनादेश

[1] नियुक्ति अनुभाग—3, संख्या 3/2-1972, दिनांक 25 जुलाई, 1973

प्रेषक,

श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय : सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अभिलाषा के कारण बुलाया जाता है तो उस छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकूत किया जाये। केन्द्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। सपुधित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:

(1) जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविचार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए।

(2) यदि कर्मचारी आधा दिन अर्थात् लंच के समय तक छुट्टियों में कार्य करता है तो ऐसे दो आधे दिनों को जोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकत किया जाए।

(3) यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपने वकाय काम के निस्तारण के लिए स्वेच्छया से कार्यालय आता है तो उसके यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(4) प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से एक महीने के अन्दर ही दे दिया जाये। यह भी सम्भव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरन्त निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाये। ऐसे दशा में यदि स्वीकूत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अधिक कर्मचारियों को एक महीने में प्रतिकर अवकाश दिये जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो एक महीने मे अवकाश स्वीकूत किये जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है किन्तु प्रतिकन्ध यह है कि एक साथ दो दिन से अधिक्र प्रतिकर अवकाश न दिया जाये।

(5) प्रतिकर अवकाश स्वीकूत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें सम्बन्धित कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकूत किये जाने का अधिकार है।

(6) उपरोक्त सुविधा केयल अराजपद्रित कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी।

भवदीय
अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
आयुक्त एवं सचिव।